संख्या-107/2019/2458 ई-2/तेरह-2019-97/2016

प्रेषक

आलोक कुमार द्विवेदी
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 31 दिसम्बर, 2019

विषयः सोल्ड एफ एण्ड बी हास्पीटैलिटी, शाप नं.-916 लेखराज खजाना, इन्दिरानगर, लखनऊ को एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उ.प्र., प्रयागराज को पृष्ठांकित अपने पत्रों संख्या-4275/जि.आ.अधि./बार अनुज्ञापन/2018-19/लखनऊ, दिनांक 18.02.2019 एवं संख्या-3272/बार अनुज्ञापन/2019-20/लखनऊ, दिनांक 14.10.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दिनांक 05.02.2019 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति एवं इसी सन्दर्भ में आबकारी आयुक्त, प्रयागराज के पत्रों संख्या-जी-29/दस-लाइसेंस-01/एफ.एल.-6,7/सोल्ड एफ एण्ड बी/बार अनु./लखनऊ, दिनांक 07.06.2019 एवं संख्या-जी-187/दस-लाइसेंस-01/एफ.एल.-6,7/सोल्ड एफ एण्ड बी/बार अनु./लखनऊ, दिनांक 09.12.2019 में की गयी संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त सोल्ड एफ एण्ड बी हास्पीटैलिटी, शाप नं.-916 लेखराज खजाना, इन्दिरानगर, लखनऊ को एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उनके प्रतिष्ठान में आने वाले आगुन्तकों के वाहनों के कारण सार्वजनिक रास्ते पर आवागमन बाधित नहीं होगा, पार्किंग स्थल का स्पष्ट चिन्हांकन किया जायेगा। अग्निशमन यन्त्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में व अग्निशमन की अनापत्ति जिन शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ दी गयी है। अग्निशमन की अनापत्ति/शर्तों को पूर्ण कराने के पश्चात ही अनुज्ञापन का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा। इकाई द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे एवं सुरक्षाकर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था तथा सुरक्षाकर्मी हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से सुसज्जित रहेगें इसका पालन किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-107/2019/2458(1) ई-2/तेरह-2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि आबकारी आयुक्त, उ.प्र., प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-जी-187/दस-लाइसेंस-01/एफ.एल.-6,7/सोल्ड एफ एण्ड बी/बार अनु./लखनऊ, दिनांक 09.12.2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in